



This is a digitally signed Gazette, to verify click here.

<http://rajpatrahimachal.nic.in>

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

वीरवार, 26 मई, 2016/5 ज्येष्ठ 1938

हिमाचल प्रदेश सरकार

उच्चतर शिक्षा विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 24 मई, 2016

संख्या: ई0डी0एन0-ए-क (4)-8/2013.-इस विभाग द्वारा जारी अधिसूचना संख्या ई0डी0एन0-ए-क (4)-8/2013 दिनांक 04-12-2013 के निरन्तरीकरण में राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, जिला पुस्तकालय विकास समिति का पुनर्गठन निम्न रूप से करने में सहर्ष स्वीकृत प्रदान करते हैं :-

1. सम्बन्धित जिला का उपायुक्त	अध्यक्ष
2. शिक्षा निदेशक, (उच्च शिक्षा) का प्रतिनिधि	सदस्य
3. सम्बन्धित जिला के डिग्री कॉलेज का प्राचार्य	सदस्य
4. सम्बन्धित जिला का उप निदेशक, (उच्च शिक्षा)	सदस्य
5. सम्बन्धित जिला का पुस्तकालयाध्यक्ष	संयोजक

इस समिति का कार्यकाल समिति के गठन की तिथि से दो वर्ष की अवधि के लिए होगा। इस समिति की वर्ष में दो बार बैठक होगी, जिसमें यह समिति विभाग में अनुमोदन के लिए प्राप्त हुई पुस्तकें एवं पत्रिकाओं की जांच तथा छानबीन उसके स्तर पर एवं शिक्षण संस्थाओं/सार्वजनिक पुस्तकालयों में उसकी उपयोगिता के आधार पर करेगी। समिति द्वारा अनुमोदित की गई पुस्तकों की सूची शिक्षण संस्थाओं एवं जिला पुस्तकालयों को भेजी जाएगी।

आदेश द्वारा,
हस्ताक्षरित/—
अतिरिक्त मुख्य सचिव (उच्चतर शिक्षा)।

उच्चतर शिक्षा विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 25 मई, 2016

संख्या: ई0डी0एन0-ए-क (4)-8/2013.—इस विभाग द्वारा जारी अधिसूचना संख्या ई0डी0एन0-ए-क (4)-8/2013 दिनांक 04-12-2013 के निरन्तरीकरण में राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, विभागीय पुस्तक एवं पत्रिकाएं अनुमोदन समिति का पुनर्गठन निम्न रूप से करने में सहर्ष स्वीकृत प्रदान करते हैं :—

1. शिक्षा निदेशक, (उच्च शिक्षा) हि0प्र0, शिमला-01	अध्यक्ष
2. प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालय, कोटशेरा, शिमला-01	सदस्य
3. उप शिक्षा निदेशक, (उच्च शिक्षा) हि0प्र0, शिमला-01	सदस्य
4. प्रधानाचार्य, रा0प0मा0पा0, पोर्टमोर, शिमला-01	सदस्य
5. पुस्तकालयाध्यक्ष, शिक्षा निदेशालय, (उच्च शिक्षा)	संयोजक

इस समिति का कार्यकाल समिति के गठन की तिथि से दो वर्ष की अवधि के लिए होगा। इस समिति की वर्ष में दो बार बैठक होगी, जिसमें यह समिति विभाग में अनुमोदन के लिए प्राप्त हुई पुस्तकें एवं पत्रिकाओं की जांच तथा छानबीन उसके स्तर पर एवं शिक्षण संस्थाओं/सार्वजनिक पुस्तकालयों में उसकी उपयोगिता के आधार पर करेगी। समिति द्वारा अनुमोदित की गई पुस्तकों की सूची शिक्षण संस्थाओं एवं जिला पुस्तकालयों को भेजी जाएगी।

आदेश द्वारा,
हस्ताक्षरित/—
अतिरिक्त मुख्य सचिव (उच्चतर शिक्षा)।

लोक निर्माण विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 24 मई, 2016

सं0पी0बी0डब्ल्यू0(बी0)ए(7)1-51/2004.—यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामत गांव फाटी खराहल, तह0 व जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश में डोभी से घराकड सड़क के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है, अतएव एतद् द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है, उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।

2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को, जो इससे सम्बन्धित हो सकते हैं, की जानकारी के लिए भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30) की धारा-11 के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी की जाती है।

3. पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम में कार्यरत सभी अधिकारियों उनके कर्मचारियों और श्रमिकों को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने और सर्वेक्षण करने तथा उप धारा द्वारा अपेक्षित अथवा अनुमतः अन्य सभी कार्यों को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं।

4. कोई भी हितबद्ध व्यक्ति जिसे उक्त परिक्षेत्र में कथित भूमि के अर्जन पर कोई आपत्ति हो तो वह इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के तीस दिन की अवधि के भीतर लिखित रूप में भू-अर्जन समाहर्ता, लोक निर्माण विभाग, मण्डी, (हि0 प्र0) के समक्ष अपनी आपत्ति दायर कर सकता है।

विवरणी

जिला	तहसील	गांव	खसरा न0	रकबा (बीघा में)
कुल्लू	कुल्लू	फाटी खराहल	6245	0-3-0
			किता: 1	0-3-0

आदेश द्वारा
हस्ताक्षरित/—
अति0 मुख्यसचिव (लोक निर्माण)।

PUBLIC WORKS DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-171002, the 18th May, 2016

No. PBW(B)F(7)3/2009-I.—In continuation to this department notification of even number dated 22nd April, 2016 and corrigendum dated 18th May, 2016, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to declare the Rohru Bye Pass road from "Mehndli to Samoli" in District Shimla have a length of 5.705 kms as Major District Road No. 69 at sr. no. 60. Accordingly the total length of Major District Roads in the State will be 2397.730 kms.

By order,
Sd/-
Addl. Chief Secretary (PW).

TRANSPORT DEPARTMENT**NOTIFICATION***Shimla-02, the 04th May, 2016*

No. TPT-C(9)-1/2014.—The Governor, Himachal Pradesh in exercise of the powers conferred by sub section 14(3) of the Himachal Pradesh Motor Vehicle Taxation Act, 1972 (Act No: 4 of 1973) and all other powers enabling him in this behalf is pleased to exempt the vehicle No. HP- 20-E-5261 which is registered in the name of Ashhraya Sadyana, VPO Tabba Dehlan Tehsil & Distt Una, Himachal Pradesh from the payment of Token Tax leviable under Section-3 of the Himachal Pradesh Motor Vehicle Taxation Act, 1972 with effect from 16-05-2015 (i.e. date of its registration) in the public interest as the vehicle (Omni bus) in question is not involved in any commercial activities.

By order,
SANJAY GUPTA,
Principal Secretary (Transport).

TRANSPORT DEPARTMENT**NOTIFICATION***Shimla-02, the 11th May, 2016*

No. TPT-C(9)-1/2014.—The Governor, Himachal Pradesh in exercise of the powers conferred by sub section 14(3) of the Himachal Pradesh Motor Vehicle Taxation Act, 1972 (Act No:4 of 1973) and all other powers enabling him in this behalf is pleased to exempt the vehicle No. HP- 63-A-0224 which is registered in the name of Joginder Singh S/o Sh. Mehar Singh r/o Chanjata Niwas, Gusan Road, Mehli Shimla, Himachal Pradesh from the payment of Token Tax leviable under Section-3 of the Himachal Pradesh Motor Vehicle Taxation Act, 1972 with effect from 01-01-2011 to till date as the vehicle in question is off road during this period.

By order,
SANJAY GUPTA,
Principal Secretary (Transport).

TRANSPORT DEPARTMENT**NOTIFICATION***Shimla-02, the 04th May, 2016*

No. TPT-C(9)-3/2003-Una.—The Governor, Himachal Pradesh in exercise of the powers conferred by sub section (6) of Section-41 of the Motor Vehicles Act, 1988 (No.59 of 1988) and all other powers enabling him in this behalf is pleased to allot /release registration marks/number from Serial No.0001 to 9999 under the Registration marks **HP-19-E** to Registering and Licensing

Authority, Amb, Distt. Una, Himachal Pradesh, for registration of motor vehicles, with immediate effect.

By order,
SANJAY GUPTA,
Principal Secretary (Transport).

TRANSPORT DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-02, the 16th May, 2016

No. TPT-F(5)-2/2015.—The Governor, Himachal Pradesh in exercise of the powers conferred by Section 3(1) (a) of Himachal Pradesh Ferries Act, 1956 is pleased to declare the route CHABA to SARAUR for running of boats/ferries in Kol Dam Reservoir on Sutlej River in the public interest with immediate effect.

By order,
SANJAY GUPTA,
Principal Secretary (Transport).

LABOUR & EMPLOYMENT DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-171002, the 19th May, 2016

No. Shram (A)4-12/2010.—In exercise of the powers conferred under Rule 6 of Chemical Accidents(Emergency Planning, Preparedness and response) Rules, 1996 read with Schedule-6 of the said rules. The Governor, Himachal Pradesh, is pleased to constitute the State Crisis Group, which is as under.

Sr. No.		Designation
1.	The Chief Secretary, to the Government of Himachal Pradesh, Shimla-2	Chairperson
2.	ACS/Principal Secretary/Secretary (Science, Technology & Environment) to the Government of Himachal Pradesh, Shimla-2	Member
3.	ACS/Principal Secretary/ Secretary (Health), to the Government of Himachal Pradesh, Shimla-2	Member
4.	ACS/Principal Secretary/ Secretary (Industries) to the Government of Himachal Pradesh, Shimla-2	Member

5.	ACS/Principal Secretary/ Secretary (IPH), to the Government of Himachal Pradesh, Shimla-2	Member
6.	ACS/Principal Secretary/ Secretary (Transport), to the Government of Himachal Pradesh, Shimla-2	Member
7.	The Chief Inspector of Factories—Cum—Labour Commissioner, H.P.	Member
8.	The Director General of Police, H.P. Shimla-2	Member
9.	Director General, DGFASLI, Mumbai	Member
10.	Member Secretary, H.P. State Pollution Control Board, Shimla-9.	Member
11.	The Chief Fire Officer, Shimla	Member
12.	The President, BBN Industries Association (representative from Industries), C/O Single Window Clearance Agency, Industrial Area Baddi, District Solan.	Member
13.	ACS/Principal Secretary/ Secretary (Labour & Employment) to the Government of Himachal Pradesh, Shimla-2.	Member Secretary

By order,
Sd/-

Principal Secretary (Labour & Employment).

ब अदालत विवाह पंजीकरण अधिकारी, बड़सर, उप—मण्डल बड़सर, जिला हमीरपुर, हि० प्र०

1. Mamta Kumari Sharma d/o Shri Jagat Ram, r/o Neri, P.O. Jaure-Amb, Tehsil Barsar, District Hamirpur (H.P.).
2. Vijay Kumar s/o Krishan Kumar Sharma, r/o Ward No. 11, Hatwara Mohalla Santoshi Mata Mandir-Ke-Pass Chhatarpur, Madhya Pradesh (MP) at present r/o NC-261, Kot Kishan Chand, Green model Town, Jalandhar City Punjab (Pb).

प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

प्रतिवादी।

आम जनता को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त दोनों आवेदकों ने इस न्यायालय में एक दूसरे के साथ विवाह पंजीकरण करवाने का आवेदन किया है। अतः इस इशतहार द्वारा आम जनता व उपरोक्त आवेदनकर्ता के माता—पिता को इस विवाह के पंजीकरण बारे एतराज हो तो दिनांक 14—6—2016 को या इससे पूर्व प्रातः 10.00 बजे इस न्यायालय में आपत्ति दर्ज करवा सकते हैं। इस तिथि के बाद कोई उजर स्वीकार नहीं किया जावेगा।

आज दिनांक 9-5-2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
विवाह पंजीकरण अधिकारी,
बड़सर, उप-मण्डल बड़सर, जिला हमीरपुर, हि० प्र०।

ब अदालत विवाह पंजीकरण अधिकारी, बड़सर, उप-मण्डल बड़सर, जिला हमीरपुर, हि० प्र०

1. Balbir Singh s/o Sant Ram, r/o Jajri, P.O. Raily Jajri, Tehsil Barsar, District Hamirpur (H.P.)
2. Vandana Kumari d/o Ramesh Chand, r/o Kathyun, P.O. Balh Sinna, Tehsil Jhandutta, District Bilaspur (H.P.)

प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

प्रतिवादी।

Balbir Singh s/o Sant Ram, r/o Jajri, P.O. Raily Jajri, Tehsil Barsar, District Hamirpur ने इस न्यायालय में Vandana Kumari d/o Ramesh Chand, r/o Kathyun, P.O. Balh Sinna, Tehsil Jhandutta, District Bilaspur (H.P.) से विवाह पंजीकरण करवाने का आवेदन किया है। अतः इस इशतहार द्वारा आम जनता व उपरोक्त आवेदनकर्ता के माता-पिता को इस विवाह के पंजीकरण बारे एतराज हो तो दिनांक 14-06-2016 तक या इससे पूर्व प्रातः 10.00 बजे तक इस न्यायालय में आपत्ति दर्ज करवा सकते हैं। इस तिथि के बाद कोई उजर स्वीकार नहीं किया जाएगा।

आज दिनांक 6-5-16 को मेरे हस्ताक्षर एवं मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
विवाह पंजीकरण अधिकारी,
बड़सर, उप-मण्डल बड़सर, जिला हमीरपुर, हि० प्र०।

In the Court of Shri Balwan Chand (HAS), Marriage Officer-cum-Sub Divisional Magistrate, Sujanpur, District Hamirpur (H.P.)-176110

In the matter of :

1. Pankaj Kumar aged 28 years s/o Shri Baldev Raj, r/o Village & PO Jangal Beri, Tehsil Sujanpur, District Hamirpur (HP).
 2. Shanti Kumari aged 19 years d/o Shri Harka Bahadur, r/o Village Shalogra, Salogra-5, Tehsil & District Solan (HP)
- .. Applicants.

Versus

General Public

Subject.—Notice of the intended Marriage.

Pankaj Kumar aged 28 years s/o Shri Baldev Raj, r/o Village & PO Jangal Beri, Tehsil Sujanpur, District Hamirpur (HP) and Shanti Kumari aged 19 years d/o Shri Harka Bahadur, r/o Village Shalogra, Salogra-5, Tehsil & District Solan (HP) have filed an application in the court of

undersigned under Section 5 of Special Marriage Act, 1954 in which they stated that they intend to solemnize their marriage within three months.

Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objections regarding this marriage can file the objections personally or in writing before this court on or before 31-05-2016. The objections received after 31-05-2016 will not entertained and marriage will be registered accordingly.

Issued today on 01-05-2016 under my hand and seal of the court.

Seal.

Sd/-
(BALWAN CHAND HAS),
Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate,
Sujanpur, District Hamirpur (H.P.).

ब अदालत तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील खुण्डियां,
जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

केस नं0 : 06/T/2016/Misc.

तारीख पेशी : 03-06-2016

श्री रत्न चन्द पुत्र श्री किहरू राम, निवासी गांव व डाकघर घरना, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

बनाम

आम जनता

उनवान मुकदमा:—जेरे धारा 13(3) जन्म एवम् मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के तहत जन्म तिथि पंजीकरण।

प्रार्थी श्री रत्न चन्द पुत्र श्री किहरू राम, निवासी गांव व डाकघर घरना, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) ने स्वयं उपस्थित होकर प्रार्थना—पत्र प्रस्तुत किया कि उसके लड़के सतीश कुमार का जन्म दिनांक 13-09-1991 को हुआ है, का पंजीकरण गलती से ग्राम पंचायत घरना के अभिलेख में 13-03-1991 दर्ज हुआ है। अतः सतीश कुमार की जन्म तिथि के पंजीकरण की ग्राम पंचायत घरना के अभिलेख में दुरुस्ती की जावे।

अतः सर्वसाधारण को सुनवाई हेतु बजरिये इश्तहार व मुस्त्री मुनादी द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में किसी प्रकार का उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 03-06-2016 को असातन व वकालतन पेश होकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। उसके उपरान्त कोई भी उजर/एतराज जेर समायत न होगा तथा श्री रत्न चन्द पुत्र श्री किहरू राम के लड़के सतीश कुमार की जन्म तिथि दुरुस्त पंजीकरण दिनांक 13-03-1991 की जगह दिनांक 13-9-1991 जेरे धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के तहत ग्राम पंचायत घरना के अभिलेख में दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 5-5-2016 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
तहसीलदार एवम् कार्यकारी दण्डाधिकारी,
तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार कोटला, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

श्री मदन सिंह राणा पुत्र श्री अतर सिंह, निवासी गांव टलियाल, उप-तहसील कोटला वादी।

बनाम

आम जनता

प्रतिवादी।

प्रार्थना—पत्र बराये जन्म पंजीयन जेर धारा 13(3) पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्री मदन सिंह राणा पुत्र श्री अतर सिंह, निवासी गांव टलियाल, उप-तहसील कोटला ने इस अदालत हजा में प्रार्थना—पत्र गुजारा है कि उसके बेटे आशीश राणा का जन्म दिनांक 12-11-1992 को गांव टलियाल, ग्राम पंचायत डोल में हुआ था, परन्तु वह अज्ञानतावश अपने बेटे की जन्म तिथि पंचायत के रिकार्ड में दर्ज नहीं करवा सका था। अब वह बेटे की जन्म तिथि पंचायत के रिकार्ड में दर्ज करवाना चाहता है।

अतः इस इश्तहार के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त पंजीकरण बारे कोई एतराज हो तो वह अपना एतराज दिनांक 03-06-2016 को प्रातः 10 बजे इस न्यायालय में असातन व वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है। अन्यथा हाजिर न आने की सूरत में यकतरफा कार्यवाही अमल में लाते हुए उपरोक्त जन्म तिथि पंचायत रिकार्ड में दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये जायेंगे। इसके उपरान्त कोई भी एतराज काबिले गौर न होगा।

यह इश्तहार आज दिनांक 22-04-2016 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
कार्यकारी दण्डाधिकारी एवम् नायब तहसीलदार
कोटला, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

ब अदालत नायब तहसीलदार एवम् कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील खूण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

केस नं0 : 04/NT/2016/Misc.

तारीख पेशी : 14-06-2016

श्रीमती वीना देवी पुत्री सरला देवी, निवासी गांव प्रौन्टा, डाकघर जरुण्डी, तहसील खूण्डियां, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

उनवान मुकदमा.—जेरे धारा 13(3) जन्म एवम् मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के तहत मृत्यु पंजीकरण।

नोटिस बनाम :—

प्रार्थिया श्रीमती वीना देवी पुत्री सरला देवी, निवासी गांव प्रौन्टा, डाकघर जरुण्डी, तहसील खूण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) ने स्वयं उपस्थित होकर प्रार्थना—पत्र प्रस्तुत किया कि उसकी माता श्रीमती सरला देवी की मृत्यु दिनांक 04-09-2010 को हो गई है, का पंजीकरण कानून की जानकारी न होने के कारण ग्राम पंचायत जरुण्डी के अभिलेख में दर्ज न हो सका है। अतः मृत्यु तिथि का पंजीकरण ग्राम पंचायत जरुण्डी के अभिलेख में दर्ज किया जाये।

अतः सर्वसाधारण को सुनवाई हेतु बजरिये इश्तहार व मुस्त्री मुनादी द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में किसी प्रकार का उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 14-06-2016 को असालतन व वकालतन पेश होकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। उसके उपरान्त कोई भी उजर/एतराज जेर समायत न होगा तथा श्रीमती वीना देवी पुत्री स्व० श्रीमती सरला देवी, निवासी गांव प्रौन्टा, डाकघर जरुण्डी की माता श्रीमती सरला देवी विधवा अनंत राम की मृत्यु तिथि का पंजीकरण दिनांक 04-09-2010, जेरे धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के तहत ग्राम पंचायत जरुण्डी के अभिलेख में दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 10-05-2016 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—

नायब तहसीलदार एवम् कार्यकारी दण्डाधिकारी,
तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि० प्र०)।

ब अदालत श्री ठाकर दास, कार्यकारी दण्डाधिकारी थुरल, जिला कांगड़ा, हि० प्र०

मुकद्दमा नं० : 2015

तारीख पेशी : 15-06-2016

श्री कल्याण चन्द पुत्र श्री पंजाब सिंह, निवासी गांव अप्पर चूला, डाकघर वैरघाट, उप-तहसील थुरल, ग्राम पंचायत वैरघाट, जिला कांगड़ा, हि० प्र०

प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

प्रतिवादी।

विषय.—जन्म व मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 13(3) के तहत जन्म पंजीकरण हेतु प्रार्थना-पत्र।

इश्तहार अखबारी व मुस्त्री मुनादी :-

प्रार्थी श्री कल्याण चन्द पुत्र श्री पंजाब सिंह, निवासी गांव अप्पर चूला, डाकघर वैरघाट, उप-तहसील थुरल, ग्राम पंचायत वैरघाट, जिला कांगड़ा, हि० प्र० ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र मय ब्यान हल्फी पेश किया व आवेदन किया कि उसका जन्म दिनांक 10-01-1949 को गांव हेव, ग्राम पंचायत वैरघाट में हुआ है। परन्तु अज्ञानतावश उसके जन्म का पंजीकरण स्थानीय ग्राम पंचायत अभिलेख में न करवाया गया है। अतः इस न्यायालय के माध्यम से अपने जन्म पंजीकरण करने का आदेश ग्राम पंचायत वैरघाट को जारी करवाना चाहता है।

अतः प्रार्थी का आवेदन स्वीकार करते हुए, इस इश्तहार मुस्त्री मुनादी द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति या संस्था को उक्त कल्याण चन्द की जन्म तिथि 10-01-1949 के पंजीकरण बारे कोई उजर एवं एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन तारीख पेशी 15-06-2016 को हाजिर अदालत होकर अपना उजर व एतराज पेश कर सकता है बाद तारीख पेशी किसी किस्म का उजर या एतराज नहीं सुना जावेगा व उपरोक्त कल्याण चन्द की जन्म तिथि 10-01-1949 के पंजीकरण करने का आदेश उप स्थानीय पंजीकार जन्म व मृत्यु ग्राम पंचायत वैरघाट को पारित कर दिया जाएगा।

यह इश्तहार मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से आज दिनांक 09-05-2016 को जारी हुआ।

मोहर।

ठाकर दास,
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
थुरल, जिला कांगड़ा।

ब अदालत श्री ठाकर दास, कार्यकारी दण्डाधिकारी थुरल, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0

मुकद्दमा नं0 : 2015

तारीख पेशी : 15-06-2016

श्रीमती राजकुमारी पुत्री श्री भीम सेन, निवासी गांव हेव, डाकघर व उप-तहसील थुरल, ग्राम पंचायत थुरल, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0
... प्रार्थिया।

बनाम

आम जनता

... प्रतिवादी।

विषय.—जन्म व मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 13(3) के तहत जन्म पंजीकरण हेतु प्रार्थना-पत्र।

इश्तहार अखबारी व मुस्त्री मुनादी :-

प्रार्थिया श्रीमती राजकुमारी पुत्री श्री भीम सेन, निवासी गांव हेव, डाकघर व उप-तहसील थुरल, ग्राम पंचायत थुरल, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र मय ब्यान हल्फी पेश किया व आवेदन किया कि उसका जन्म दिनांक 04-01-1954 को गांव हेव, ग्राम पंचायत थुरल में हुआ है। परन्तु अज्ञानतावश उसके जन्म का पंजीकरण स्थानीय ग्राम पंचायत अभिलेख में न करवाया गया है। अतः इस न्यायालय के माध्यम से अपने जन्म पंजीकरण करने का आदेश ग्राम पंचायत थुरल को जारी करवाना चाहती है।

अतः प्रार्थिया का आवेदन स्वीकार करते हुए, इस इश्तहार मुस्त्री मुनादी द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति या संस्था को उक्त राजकुमारी की जन्म तिथि 04-01-1954 के पंजीकरण बारे कोई उजर एवं एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन तारीख पेशी 15-06-2016 को हाजिर अदालत होकर अपना उजर व एतराज पेश कर सकता है बाद तारीख पेशी किसी किस्म का उजर या एतराज नहीं सुना जावेगा व उपरोक्त राजकुमारी की जन्म तिथि 04-01-1954 के पंजीकरण करने का आदेश उप स्थानीय पंजीकार जन्म व मृत्यु ग्राम पंचायत थुरल को पारित कर दिया जाएगा।

यह इश्तहार मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से आज दिनांक 09-05-2016 को जारी हुआ।

मोहर।

ठाकर दास,
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
थुरल, जिला कांगड़ा।

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी एवम् तहसीलदार इन्दौरा, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0

मिसल नं0 : 04/ई0 एम0/2016

तारीख पेशी : 19-6-2016

श्रीमती उषा देवी पत्नी श्री हरनाम सिंह, निवासी कुडंसा, डा0 चनौर, तहसील इन्दौरा, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0
... प्रार्थिया

बनाम

आम जनता

... प्रत्यार्थी

विषय.—प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवम् मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत जन्म तिथि पंजीकरण करने बारे।

इश्तहार राजपत्र।

प्रार्थिया श्रीमती उषा देवी पत्नी श्री हरनाम सिंह, निवासी कुडंसा, डा0 चनौर, तहसील इन्दौरा, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 ने प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करते हुए निवेदन किया है कि उसके लडके का जन्म दिनांक

4-10-1994 को उसके गांव कुडंसा, पंचायत कुडंसा, तहसील इन्दौरा, जिला कांगड़ा में हुआ है लेकिन अज्ञानतावश उसकी जन्म तिथि को ग्राम पंचायत कुडंसा, तहसील इन्दौरा, जिला कांगड़ा के अभिलेख में पंजीकृत न करवाया जा सका है उसकी जन्म तिथि को पंजीकृत करने के आदेश देने की अनुमति प्रदान करें।

अतः इस इशतहार राजपत्र द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि उक्त श्री ओंकार चन्द पुत्र हरनाम सिंह, निवासी कुडंसा, तहसील इन्दौरा, जिला कांगड़ा की जन्म तिथि को पंजीकृत करने बारे किसी व्यक्ति को कोई भी एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन दिनांक 19-6-16 को प्रातः 10 बजे अदालत हजा में हाजिर होकर अपना एतराज पेश कर सकता है। कोई एतराज पेश ना होने की सूरत में जन्म तिथि को पंजीकृत करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 18-05-2016 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
इन्दौरा, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी एवम् तहसीलदार इन्दौरा, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0

मिसल नं0 : 03/ई0 एम0/2016

तारीख पेशी : 19-6-2016

श्री कुलजीत शर्मा पुत्र श्री शक्ति राम शर्मा, गांव डा0 इन्दौरा, तहसील इन्दौरा, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0
... प्रार्थी

बनाम

आम जनता

... प्रत्यार्थी

विषय.—प्रार्थना—पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवम् मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत जन्म तिथि पंजीकरण करने बारे।

इशतहार राजपत्र।

प्रार्थी श्री कुलजीत शर्मा पुत्र श्री शक्ति राम शर्मा, गांव व डा0 इन्दौरा, तहसील इन्दौरा, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 ने प्रार्थना—पत्र प्रस्तुत करते हुए निवेदन किया है कि उसके लड़के का जन्म दिनांक 10-7-1992 को उसके गांव इन्दौरा, पंचायत इन्दौरा, तहसील इन्दौरा, जिला कांगड़ा में हुआ है लेकिन अज्ञानतावश उसकी जन्म तिथि को ग्राम पंचायत इन्दौरा, तहसील इन्दौरा, जिला कांगड़ा के अभिलेख में पंजीकृत न करवाया जा सका है उसकी जन्म तिथि को पंजीकृत करने के आदेश देने की अनुमति प्रदान करें।

अतः इस इशतहार राजपत्र द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि उक्त श्री अंकुर शर्मा पुत्र कुलजीत शर्मा, निवासी इन्दौरा, तहसील इन्दौरा, जिला कांगड़ा की जन्म तिथि को पंजीकृत करने बारे किसी व्यक्ति को कोई भी एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन दिनांक 19-6-16 को प्रातः 10 बजे अदालत हजा में हाजिर होकर अपना एतराज पेश कर सकता है। कोई एतराज पेश ना होने की सूरत में जन्म तिथि को पंजीकृत करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 18-05-2016 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
इन्दौरा, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।

ब अदालत श्री रघुवीर सिंह, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, कुल्लू, जिला कुल्लू, हि० प्र०

केस नम्बर : 17/B.E./T/2016

तारीख पेशी : 1-06-2016

बनाम सर्वसाधारण एवं आम जनता

विषय.—प्रार्थना—पत्र अधिनियम धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्री तेज राम सपुत्र श्री बालक राम, निवासी डोहलू नाला, डा० डोभी, तहसील व जिला कुल्लू, हि० प्र० ने इस कार्यालय में प्रार्थना—पत्र दिया है कि उसकी लड़की अनु का जन्म दिनांक 15-12-1994 को हुआ है परन्तु उसकी जन्म तिथि का इन्द्राज किसी कारणवश ग्राम पंचायत देवगढ़ के अभिलेख में दर्ज न की गई है।

अतः इस इशतहार हजा द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को अनु की जन्म तिथि दर्ज करवाने बारे कोई आपत्ति हो तो वह दिनांक 1-6-2016 को सुबह 10.00 बजे या इससे पूर्व असालतन व वकालतन हाजिर अदालत आकर अपना उजर व एतराज दर्ज करवा सकता है इसके उपरान्त कोई भी उजर/एतराज समायत न होगा तथा नियमानुसार जन्म तिथि दर्ज करवाने के आदेश सम्बन्धित पंचायत को पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 2-05-2016 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
कुल्लू, जिला कुल्लू (हि० प्र०)।

ब अदालत श्री रघुवीर सिंह, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, कुल्लू, जिला कुल्लू, हि० प्र०

केस नम्बर : 18/M.E./T/2016

तारीख पेशी : 1-6-2016

1. श्री सुनील कुमार पुत्र श्री मान चन्द, निवासी खरगां, डा० रायसन, तहसील व जिला कुल्लू, हि० प्र०।
2. श्रीमती मैना देवी पुत्री श्री अमर चन्द, निवासी सियुनीधार, डा० लंराकिलों, तहसील व जिला कुल्लू, हि० प्र०।

प्रार्थीगण।

बनाम

आम जनता

प्रतिवादीगण

विषय.—प्रार्थना—पत्र जेर धारा 5(4) हि० प्र० रजिस्ट्रीकरण नियम, 2004 विवाह पंजीकरण बारे।

उपरोक्त मामला में प्रार्थीगण उपरोक्त ने दिनांक 26-4-2016 को इस अदालत में प्रार्थना—पत्र पेश किया है कि उन्होंने दिनांक 5-10-2014 को हिन्दू रीति रिवाज के अनुसार स्थान खरगां में शादी कर ली है और तब से पति पत्नी के रूप में रहते चले आ रहे हैं। परन्तु प्रार्थीगण द्वारा अपनी शादी का इन्द्राज सम्बन्धित पंचायत में नहीं करवाया है।

अतः सर्वसाधारण को व आम जनता को इस इशतहार द्वारा सूचित किया जाता है कि किसी भी व्यक्ति को उपरोक्त प्रार्थीगणों की शादी को सम्बन्धित पंचायत के अभिलेख में दर्ज करने बारे कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 1-6-2016 को सुबह 10.00 बजे या इससे पूर्व असालतन या वकालतन हाजिर अदालत पेश होकर अपना उजर व एतराज पेश कर सकता है। इसके उपरान्त कोई भी उजर व एतराज प्राप्त न होने की सूरत में नियमानुसार शादी दर्ज करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 2-5-2016 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
कुल्लू, जिला कुल्लू (हि0 प्र0)।

ब अदालत श्री रघुवीर सिंह, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, कुल्लू, जिला कुल्लू, हि0 प्र0

केस नं0 : 19/M.E./T/2016

तारीख पेशी : 1-6-2016

1. श्री मनी राम पुत्र श्री दौलत राम, निवासी पौधरू, डा0 कराडसु, तहसील व जिला कुल्लू, हि0 प्र0
2. श्रीमती निशा देवी पुत्री श्री डुमणु राम, निवासी गांव ठाणा कोटलू, डा0 औट, सब-तहसील औट, जिला मण्डी, हि0 प्र0

प्रार्थीगण।

बनाम

आम जनता

प्रतिवादीगण

विषय.—प्रार्थना—पत्र जेर धारा 5(4) हि0 प्र0 रजिस्ट्रीकरण नियम, 2004 विवाह पंजीकरण बारे।

उपरोक्त मामला में प्रार्थीगण उपरोक्त ने दिनांक 20-4-2016 को इस अदालत में प्रार्थना—पत्र पेश किया है कि उन्होंने दिनांक 1-1-2015 को हिन्दू रीति—रिवाज के अनुसार स्थान पौधरू में शादी कर ली है और तब से पति पत्नी के रूप में रहते चले आ रहे हैं। परन्तु प्रार्थीगण द्वारा अपनी शादी का इन्द्राज सम्बन्धित पंचायत में नहीं करवाया है।

अतः सर्वसाधारण को व आम जनता को इस इशतहार द्वारा सूचित किया जाता है कि किसी भी व्यक्ति को उपरोक्त प्रार्थीगणों की शादी को सम्बन्धित पंचायत के अभिलेख में दर्ज करने बारे कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 1-6-2016 को सुबह 10.00 बजे या इससे पूर्व असालतन या वकालतन हाजिर अदालत पेश होकर अपना उजर/एतराज पेश कर सकता है। इसके उपरान्त कोई भी उजर व एतराज प्राप्त न होने की सूरत में नियमानुसार शादी दर्ज करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 2-5-2016 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
कुल्लू, जिला कुल्लू (हि0 प्र0)।

ब अदालत श्री रघुवीर सिंह, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, कुल्लू, जिला कुल्लू, हि0 प्र0

केस नं0 : 20/M.E./T/2016

तारीख पेशी : 1-6-2016

1. श्री अतिन सूद पुत्र श्री सुरेश कुमार सूद, निवासी H.No. 147 Ward No. I Ram Shila Kullu, H.P.
2. श्रीमती सरूचि सूद पुत्री श्री सुशील कुमार, वागीयार, डा0 मरांडा, तहसील पालमपुर, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0

प्रार्थीगण।

बनाम

आम जनता

प्रतिवादीगण

विषय.—प्रार्थना—पत्र जेर धारा 5(4) हि0 प्र0 रजिस्ट्रीकरण नियम, 2004 विवाह पंजीकरण बारे।

उपरोक्त मामला में प्रार्थीगण उपरोक्त ने दिनांक 8-4-2016 को इस अदालत में प्रार्थना—पत्र पेश किया है कि उन्होंने दिनांक 30-11-2007 को हिन्दू रीति—रिवाज के अनुसार स्थान शिव मन्दिर भुन्तर में शादी कर ली है और तब से पति पत्नी के रूप में रहते चले आ रहे हैं। परन्तु प्रार्थीगण द्वारा अपनी शादी का इन्द्राज सम्बन्धित पंचायत में नहीं करवाया है।

अतः सर्वसाधारण को व आम जनता को इस इशतहार द्वारा सूचित किया जाता है कि किसी भी व्यक्ति को उपरोक्त प्रार्थीगणों की शादी को सम्बन्धित पंचायत के अभिलेख में दर्ज करने बारे कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 1-6-2016 को सुबह 10.00 बजे या इससे पूर्व असालतन या वकालतन हाजिर अदालत पेश होकर अपना उजर/एतराज पेश कर सकता है। इसके उपरान्त कोई भी उजर व एतराज प्राप्त न होने की सूरत में नियमानुसार शादी दर्ज करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 2-5-2016 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
कुल्लू, जिला कुल्लू (हि0 प्र0)।

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील मनाली, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश

श्री आशा दोरजे पुत्र श्री कोटंग तमाग (Kotang Tamang), निवासी नेपाल हाल निवासी कंचनीकूट, डाकघर वशिष्ट, तहसील मनाली, जिला कुल्लू, हि0 प्र0।

बनाम

आम जनता

विषय.—प्रकाशन इशतहार बाबत जन्म तिथि पंजीकरण जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु अधिनियम, 1969.

नोटिस बनाम : आम जनता।

श्री आशा दोरजे पुत्र श्री कोटंग तमाग (Kotang Tamang), निवासी नेपाल हाल निवासी कंचनीकूट, डाकघर वशिष्ट, तहसील मनाली, जिला कुल्लू, हि0 प्र0 ने इस न्यायालय में आवेदन—पत्र मय शपथ—पत्र गुजारा है कि उसकी पुत्री पूनम का जन्म दिनांक 1-1-1994 को कंचनीकूट में हुआ है परन्तु उसकी जन्म तिथि ग्राम पंचायत वशिष्ट के रिकार्ड में दर्ज नहीं की गई है, जिसे अब दर्ज करवाने के आदेश सादर फरमाये जावें।

अतः सर्वसाधारण को इस इशतहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को पूनम की जन्म तिथि दर्ज करवाने बारे आपत्ति हो तो वह दिनांक 2-6-16 को या इससे पूर्व अदालत हजा में अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकता है। इसके उपरान्त कोई भी उजर/एतराज मान्य न होगा तथा नियमानुसार जन्म तिथि दर्ज करवाने के आदेश पारित कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 3-5-16 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
तहसील मनाली, जिला कुल्लू (हि0 प्र0)।

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील मनाली, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश

श्री आशा दोरजे पुत्र श्री कोटंग तमांग (Kotang Tamang), निवासी नेपाल हाल निवासी कंचनीकूट, डाकघर वशिष्ट, तहसील मनाली, जिला कुल्लू, हि0 प्र0।

बनाम

आम जनता

विषय.—प्रकाशन इश्तहार बाबत जन्म तिथि पंजीकरण जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु अधिनियम, 1969.

नोटिस बनाम : आम जनता।

श्री आशा दोरजे पुत्र श्री कोटंग तमांग (Kotang Tamang), निवासी नेपाल हाल निवासी कंचनीकूट, डाकघर वशिष्ट, तहसील मनाली, जिला कुल्लू, हि0 प्र0 ने इस न्यायालय में आवेदन—पत्र मय शपथ—पत्र गुजारा है कि उसके पुत्र प्रकाश तमांग का जन्म दिनांक 11-7-1998 को कंचनीकूट में हुआ है परन्तु उसकी जन्म तिथि ग्राम पंचायत वशिष्ट के रिकार्ड में दर्ज नहीं की गई है, जिसे अब दर्ज करवाने के आदेश सादर फरमाये जावें।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को प्रकाश तमांग की जन्म तिथि दर्ज करवाने बारे आपत्ति हो तो वह दिनांक 3-6-16 को या इससे पूर्व अदालत हजा में अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकता है। इसके उपरान्त कोई भी उजर/एतराज मान्य न होगा तथा नियमानुसार जन्म तिथि दर्ज करवाने के आदेश पारित कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 3-5-16 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
तहसील मनाली, जिला कुल्लू (हि0 प्र0)।

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील मनाली, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश

श्री आशा दोरजे पुत्र श्री कोटंग तमांग (Kotang Tamang), निवासी नेपाल हाल निवासी कंचनीकूट, डाकघर वशिष्ट, तहसील मनाली, जिला कुल्लू, हि0 प्र0।

बनाम

आम जनता

विषय.—प्रकाशन इश्तहार बाबत जन्म तिथि पंजीकरण जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु अधिनियम, 1969.

नोटिस बनाम : आम जनता।

श्री आशा दोरजे पुत्र श्री कोटंग तमांग (Kotang Tamang), निवासी नेपाल हाल निवासी कंचनीकूट, डाकघर वशिष्ट, तहसील मनाली, जिला कुल्लू, हि० प्र० ने इस न्यायालय में आवेदन-पत्र मय शपथ-पत्र गुजारा है कि उसकी पुत्री निशा का जन्म दिनांक 18-3-1993 को कंचनीकूट में हुआ है परन्तु उसकी जन्म तिथि ग्राम पंचायत वशिष्ट के रिकार्ड में दर्ज नहीं की गई है, जिसे अब दर्ज करवाने के आदेश सादर फरमाये जावें।

अतः सर्वसाधारण को इस इशतहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को निशा की जन्म तिथि दर्ज करवाने बारे आपत्ति हो तो वह दिनांक 3-6-16 को या इससे पूर्व अदालत हजा में अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकता है। इसके उपरान्त कोई भी उजर/एतराज मान्य न होगा तथा नियमानुसार जन्म तिथि दर्ज करवाने के आदेश पारित कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 3-5-16 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
तहसील मनाली, जिला कुल्लू (हि० प्र०)।

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील मनाली, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश

श्री आशा दोरजे पुत्र श्री कोटंग तमांग (Kotang Tamang), निवासी नेपाल हाल निवासी कंचनीकूट, डाकघर वशिष्ट, तहसील मनाली, जिला कुल्लू, हि० प्र०।

बनाम

आम जनता

विषय.—प्रकाशन इशतहार बाबत जन्म तिथि पंजीकरण जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु अधिनियम, 1969.

नोटिस बनाम : आम जनता।

श्री आशा दोरजे पुत्र श्री कोटंग तमांग (Kotang Tamang), निवासी नेपाल हाल निवासी कंचनीकूट, डाकघर वशिष्ट, तहसील मनाली, जिला कुल्लू, हि० प्र० ने इस न्यायालय में आवेदन-पत्र मय शपथ-पत्र गुजारा है कि उसकी पुत्री पांसग का जन्म दिनांक 15-3-1995 को कंचनीकूट में हुआ है परन्तु उसकी जन्म तिथि ग्राम पंचायत वशिष्ट के रिकार्ड में दर्ज नहीं की गई है, जिसे अब दर्ज करवाने के आदेश सादर फरमाये जावें।

अतः सर्वसाधारण को इस इशतहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को पांसग की जन्म तिथि दर्ज करवाने बारे आपत्ति हो तो वह दिनांक 3-6-16 को या इससे पूर्व अदालत हजा में अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकता है। इसके उपरान्त कोई भी उजर/एतराज मान्य न होगा तथा नियमानुसार जन्म तिथि दर्ज करवाने के आदेश पारित कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 3-5-16 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
तहसील मनाली, जिला कुल्लू (हि० प्र०)।

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील मनाली, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश

श्री नर बहादुर पुत्र श्री बाल बहादुर, निवासी गोशाल, डाकघर वाहंग, तहसील मनाली, जिला कुल्लू, हि0 प्र0।

बनाम

आम जनता

विषय.—प्रकाशन इश्तहार बाबत जन्म तिथि पंजीकरण जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु अधिनियम, 1969.

नोटिस बनाम : आम जनता।

श्री नर बहादुर पुत्र श्री बाल बहादुर, निवासी गोशाल, डाकघर वाहंग, तहसील मनाली, जिला कुल्लू, हि0 प्र0 ने इस न्यायालय में आवेदन—पत्र मय शपथ—पत्र गुजारा है कि उसके पुत्र वाला राम का जन्म दिनांक 5—6—2000 को गोशाल में हुआ है परन्तु उसकी जन्म तिथि ग्राम पंचायत शनाग के रिकार्ड में दर्ज नहीं की गई है, जिसे अब दर्ज करवाने के आदेश सादर फरमाये जावें।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को वाला राम की जन्म तिथि दर्ज करवाने बारे आपत्ति हो तो वह दिनांक 2—6—16 को या इससे पूर्व अदालत हजा में अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकता है। इसके उपरान्त कोई भी उजर/एतराज मान्य न होगा तथा नियमानुसार जन्म तिथि दर्ज करवाने के आदेश पारित कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 2—5—16 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
तहसील मनाली, जिला कुल्लू (हि0 प्र0)।

न्यायालय सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी उप—तहसील उदयपुर,
जिला लाहौल—स्पिति (हि0 प्र0)

श्री फुन्चोग पुत्र श्री छेरिंग राम, गांव गालिंग, उप—तहसील उदयपुर

बनाम

आम जनता

प्रार्थना पत्र बराए दुरुस्ती नाम।

नाटिस बनाम आम जनता

श्री फुन्चोग पुत्र श्री छेरिंग राम, गांव गालिंग, उप—तहसील उदयपुर ने इस अदालत में प्रार्थना—पत्र मय शपथ पत्र व अन्य दस्तावेज गुजारा है कि प्रार्थी का नाम ग्राम पंचायत जहालमा के परिवार रजिस्टर नकल में सोनम फुन्चोग तथा राजस्व कागजात में सनम फुन्चोग दर्ज है जो कि गलत है पिता की मृत्यु के समय प्रार्थी छोटी उम्र का होने से इन्तकाल तस्दीक दौरान सनम फुन्चोग राजस्व अभिलेख में गलत नाम लिखवा दिया। प्रार्थी के पुत्र गणेश लाल के शिक्षा प्रमाण पत्र में पिता का नाम फुन्चोग दर्ज है जो सही दर्ज

है। गांव तथा समाज में फुन्वोग के नाम से जाना व पुकारा जाता है। अब प्रार्थी महाल गालिंग तथा महाल खरोटी के राजस्व अभिलेख में अपना नाम सनम फुन्वोग के स्थान पर फुन्वोग दर्ज करवाना चाहता है।

अतः इस इश्तहार द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त प्रार्थी का नाम महाल गालिंग तथा महाल खरोटी के राजस्व अभिलेख में दुरुस्त करवाने बारे कोई उजर-एतराज हो तो वह दिनांक 11-6-2016 को या इससे पूर्व अदालत हजा में हाजिर आकर अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकता है। बाद गुजरने मियाद कोई भी उजर/एतराज काबिले समायत न होगा तथा नियमानुसार महाल गालिंग तथा महाल खरोटी के राजस्व अभिलेख में प्रार्थी का नाम दुरुस्त करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 10-5-2016 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
उप-तहसील उदयपुर, जिला लाहौल-स्पिति (हि0प्र0)।

**In the Court of Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Rural,
District Mandi, H. P.**

In the matter of :—

1. Shri Yashwant Singh s/o Shri Bhagat Ram, r/o Village Gantrohal, P.O. Beena, Tehsil Balh, District Mandi (H. P.)
 2. Smt. Jeeto Devi d/o Shri Goverdhan Dass, r/o Village Chadyara, P.O. Gutkar, Tehsil Sadar, District Mandi, H.P. (At present wife of Shri Yashwant Singh s/o Shri Bhagat Ram, r/o Village Gantrohal, P.O. Beena, Tehsil Balh, District Mandi (H. P.)
- . . . Applicants.

Versus

General Public

Subject.—Application for the registration of Marriage under Section 15 of Special Marriage Act, 1954.

Shri Yashwant Singh s/o Shri Bhagat Ram, r/o Village Gantrohal, P.O. Beena, Tehsil Balh, District Mandi (H. P.) and Smt. Jeeto Devi d/o Shri Goverdhan Dass, r/o Village Chadyara, P.O. Gutkar, Tehsil Sadar, District Mandi, H.P. (At present wife of Shri Yashwant Singh s/o Shri Bhagat Ram, r/o Village Gantrohal, P.O. Beena, Tehsil Balh, District Mandi (H. P.) have filed an application along with affidavits in the court of undersigned under Section 15 of Special Marriage Act, 1954 that they have solemnized their marriage on 28-04-2016 according to Hindu rites and customs at Tarna Mata Mandir Mandi (H.P.) and they are living together as husband and wife since then. Hence, their marriage may be registered under Special Marriage Act, 1954.

Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this marriage, can file the objection personally or in writing before this court on or before 2-06-2016 after that no objection will be entertained and marriage will be registered.

Issued today on 2nd day of May, 2016 under my hand and seal of the court.

Seal.

Sd/-

*Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate,
Mandi (Rural), District Mandi.*

**In the Court of Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Urban,
District Mandi, H. P.**

In the matter of :—

1. Shri Hitesh Kumar s/o Shri Thakur Singh, r/o Village Mehar, P.O. Tandu, Tehsil Sadar, District Mandi (H. P.)

2. Smt. Harsh Lata d/o Shri Labh Singh, r/o Village Kashla, P.O. Drang, Tehsil Sadar, District Mandi (H.P.) (At present wife of Shri Hitesh Kumar s/o Shri Thakur Singh, r/o Village Mehar, P.O. Tandu, Tehsil Sadar, District Mandi, H. P.) . . Applicants.

Versus

General Public

Subject.—Application for the registration of Marriage under Section 15 of Special Marriage Act, 1954.

Shri Hitesh Kumar s/o Shri Thakur Singh, r/o Village Mehar, P.O. Tandu, Tehsil Sadar, District Mandi, H. P. and Smt. Harsh Lata d/o Shri Labh Singh, r/o Village Kashla, P.O. Drang, Tehsil Sadar, District Mandi (H.P.) (At present wife of Shri Hitesh Kumar s/o Shri Thakur Singh, r/o Village Mehar, P.O. Tandu, Tehsil Sadar, District Mandi, H. P.) have filed an application along with affidavits in the court of undersigned under Section 15 of Special Marriage Act, 1954 that they have solemnized their marriage on 20-04-2016 according to Hindu rites and customs at Village Mehar, Tehsil Sadar, District Mandi, H. P. and they are living together as husband and wife since then. Hence, their marriage may be registered under Special Marriage Act, 1954.

Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this marriage, can file the objection personally or in writing before this court on or before 02-06-2016 after that no objection will be entertained and marriage will be registered.

Issued today on 2nd day of May, 2016 under my hand and seal of the court.

Seal.

Sd/-

*Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate,
Mandi (Urban), District Mandi (H.P.).*

**In the Court of Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Rural,
District Mandi, H. P.**

In the matter of :—

1. Shri Karan Singh s/o Shri Brij Lal, r/o Village Karnehra, P.O. Galma, Tehsil Balh, District Mandi, H. P.

2. Smt. Jyoti d/o Shri Mani Ram, r/o Village Chalahar, P.O. Reur, Tehsil Balh, District Mandi, H.P. (At present wife of Shri Karan Singh s/o Shri Brij Lal, r/o Village Karnehra, P.O. Galma, Tehsil Balh, District Mandi, H. P.) . . Applicants.

Versus

General Public

Subject.—Application for the registration of Marriage under Section 15 of Special Marriage Act, 1954.

Shri Karan Singh s/o Shri Brij Lal, r/o Village Karnehra, P.O. Galma, Tehsil Balh, District Mandi, H. P. and Smt. Jyoti d/o Shri Mani Ram, r/o Village Chalahar, P.O. Reur, Tehsil Balh, District Mandi, H.P. (At present wife of Shri Karan Singh s/o Shri Brij Lal, r/o Village Karnehra, P.O. Galma, Tehsil Balh, District Mandi, H. P.) have filed an application along with affidavits in the court of undersigned under Section 15 of Special Marriage Act, 1954 that they have solemnized their marriage on 01-03-2016 according to Hindu rites and customs at Village Karnehra, P.O. Galma, Tehsil Balh, District Mandi, H.P. and they are living together as husband and wife since then. Hence, their marriage may be registered under Special Marriage Act, 1954.

Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this marriage, can file the objection personally or in writing before this court on or before 09-06-2016 after that no objection will be entertained and marriage will be registered.

Issued today on 9th day of May, 2016 under my hand and seal of the court.

Seal.

Sd/-

*Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate,
Mandi (Rural), District Mandi.*

**In the Court of Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Urban,
District Mandi, H. P.**

In the matter of :—

1. Shri Vivek Sharma s/o Shri V. K. Sharma, r/o House No. 7/6, Lower Samkhetar, Tehsil Sadar, District Mandi, H. P.
2. Smt. Garima d/o Shri Kishori Lal, r/o Village Sanyardi, P.O. Talyahar, Tehsil Sadar, District Mandi, H.P. (At present wife of Shri Vivek Sharma s/o Shri V. K. Sharma, r/o House No. 7/6, Lower Samkhetar, Tehsil Sadar, District Mandi, H. P.) . . Applicants.

Versus

General Public

Subject.—Application for the registration of Marriage under Section 15 of Special Marriage Act, 1954.

Shri Vivek Sharma s/o Shri V. K. Sharma, r/o House No. 7/6, Lower Samkhetar, Tehsil Sadar, District Mandi, H. P. and Smt. Garima d/o Shri Kishori Lal, r/o Village Sanyardi, P.O. Talyahar, Tehsil Sadar, District Mandi, H.P. (At present wife of Shri Vivek Sharma s/o Shri V. K.

Sharma, r/o House No. 7/6, Lower Samkhetar, Tehsil Sadar, District Mandi, H. P.) have filed an application along with affidavits in the court of undersigned under Section 15 of Special Marriage Act, 1954 that they have solemnized their marriage on 14-02-2015 according to Hindu rites and customs at their respective house and they are living together as husband and wife since then. Hence, their marriage may be registered under Special Marriage Act, 1954.

Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this marriage, can file the objection personally or in writing before this court on or before 09-06-2016 after that no objection will be entertained and marriage will be registered.

Issued today on 9th day of May, 2016 under my hand and seal of the court.

Seal.

Sd/-

*Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate,
Mandi (Urban), District Mandi.*

**In the Court of Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Urban
District Mandi, H. P.**

In the matter of :—

1. Shri Dinesh Rana s/o Shri Ramesh Singh Rana, r/o Basant Colony Saili Road Pathankot, Pin Code-145001, c/o Shri Kishan Singh, H.No. 232/5, Home Guard Street Lower Bhiuli Mandi, District Mandi, H. P. Pin Code-175001.
2. Smt. Neena Rana d/o Shri Angraj Singh Manhas, r/o Near M.D.K. Public School Saili Kullian, New Chakki Bridge Pathankot, Pin Code-145001, c/o Shri Kishan Singh H.No. 232/5, Home Guard Street Lower Bhiuli Mandi, District Mandi, H. P. Pin Code-175001 (At present wife of Shri Dinesh Rana s/o Shri Ramesh Singh Rana, r/o Basant Colony Saili Road Pathankot, Pin Code-145001, c/o Shri Kishan Singh, H.No. 232/5, Home Guard Street Lower Bhiuli Mandi, District Mandi, H. P. Pin Code-175001)

... Applicants.

Versus

General Public

Subject.—Application for the registration of Marriage under Section 15 of Special Marriage Act, 1954.

Shri Dinesh Rana s/o Shri Ramesh Singh Rana, r/o Basant Colony Saili Road Pathankot, Pin Code-145001, c/o Shri Kishan Singh, H.No. 232/5, Home Guard Street Lower Bhiuli Mandi, District Mandi, H. P. Pin Code-175001 and Smt. Neena Rana d/o Shri Angraj Singh Manhas, r/o Near M.D.K. Public School Saili Kullian, New Chakki Bridge Pathankot, Pin Code-145001, c/o Shri Kishan Singh H.No. 232/5, Home Guard Street Lower Bhiuli Mandi, District Mandi, H. P. Pin Code-175001 (At present wife of Shri Dinesh Rana s/o Shri Ramesh Singh Rana, r/o Basant Colony Saili Road Pathankot, Pin Code-145001, c/o Shri Kishan Singh, H.No. 232/5, Home Guard Street Lower Bhiuli Mandi, District Mandi, H. P. Pin Code-175001)) have filed an application along with affidavits in the court of undersigned under Section 15 of Special Marriage Act, 1954 that they have solemnized their marriage on 07-12-2009 according to Hindu rites and customs at

Pathankot and they are living together as husband and wife since then. Hence, their marriage may be registered under Special Marriage Act, 1954.

Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this marriage, can file the objection personally or in writing before this court on or before 04-06-2016 after that no objection will be entertained and marriage will be registered.

Issued today on 4th day of May, 2016 under my hand and seal of the court.

Seal.

Sd/-

*Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate,
Mandi (Urban), District Mandi.*

**In the Court of Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Urban,
District Mandi, H. P.**

In the matter of :—

1. Shri Vijay Kumar s/o Shri Naresh, r/o Village Chhanwari, P.O. Tilli, Tehsil Sadar, District Mandi, H. P.

2. Smt. Upasna d/o Shri Gokal, r/o Village Katwali, P.O. Kalahaud, Tehsil Sundernagar, District Mandi, H.P. (At present wife of Shri Vijay Kumar s/o Shri Naresh, r/o Village Chhanwari, P.O. Tilli, Tehsil Sadar, District Mandi, H. P.) . . . *Applicants.*

Versus

General Public

Subject.—Application for the registration of Marriage under Section 15 of Special Marriage Act, 1954.

Shri Vijay Kumar s/o Shri Naresh, r/o Village Chhanwari, P.O. Tilli, Tehsil Sadar, District Mandi, H. P. and Smt. Upasna d/o Shri Gokal, r/o Village Katwali, P.O. Kalahaud, Tehsil Sundernagar, District Mandi, H.P. (At present wife of Shri Vijay Kumar s/o Shri Naresh, r/o Village Chhanwari, P.O. Tilli, Tehsil Sadar, District Mandi, H. P.) have filed an application along with affidavits in the court of undersigned under Section 15 of Special Marriage Act, 1954 that they have solemnized their marriage on 10-03-2016 according to Hindu rites and customs at Chhanwari, Tehsil Sadar, District Mandi, H.P. and they are living together as husband and wife since then. Hence, their marriage may be registered under Special Marriage Act, 1954.

Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this marriage, can file the objection personally or in writing before this court on or before 04-06-2016 after that no objection will be entertained and marriage will be registered.

Issued today on 4th day of May, 2016 under my hand and seal of the court.

Seal.

Sd/-

*Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate,
Mandi (Urban), District Mandi .*

ब अदालत सहायक समाहर्ता (प्रथम श्रेणी) तहसील ददाहू, जिला सिरमौर, हि0 प्र0

ब मुकद्दमा : श्री सुकेत कुमार शर्मा पुत्र श्री नारायण दत्त शर्मा, निवासी ग्राम नार नोटी, तहसील ददाहू, जिला सिरमौर, हि0 प्र0।

बनाम

आम जनता

नोटिस बनाम आम जनता।

श्री सुकेत कुमार शर्मा पुत्र श्री नारायण दत्त शर्मा, निवासी ग्राम नार नोटी, तहसील ददाहू, जिला सिरमौर, हि0 प्र0 ने इस अदालत में एक दरखास्त गुजारी है, प्रार्थी सुकेत कुमार की जन्म तिथि 21-02-1991 ग्राम पंचायत कोटला मोलर के रिकार्ड में दर्ज नहीं है। जिसकी पुष्टि हेतु प्रार्थी ने आवेदन पत्र मय हलफीब्यान, सचिव ग्राम पंचायत कोटला मोलर एवम् जिला रजिस्ट्रार, जन्म एवं मृत्यु एवम् मुख्य चिकित्सा अधिकारी, नाहन, जिला सिरमौर की संतुति प्रस्तुत की है। जिसे प्रार्थी अब अपना नाम व जन्म तिथि ग्राम पंचायत कोटला मोलर में दर्ज करवाना चाहता है।

अतः इस नोटिस द्वारा समस्त जनता ग्राम नार नोटी, प्रार्थी के समस्त रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उक्त प्रार्थी का नाम व जन्म तिथि 21-02-1991, ग्राम पंचायत कोटला मोलर के रिकार्ड में दर्ज करने बारे उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 04-06-2016 तक असालतन व वकालतन हाजिर हो कर अपना एतराज पेश कर सकता/सकती है। उसके उपरान्त कोई उजर व एतराज नहीं सुना जाएगा और नियमानुसार प्रार्थना-पत्र का निपटारा कर दिया जाएगा।

आज दिनांक 03-05-2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय की मोहर द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—

सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
तहसील ददाहू, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।

ब अदालत सहायक समाहर्ता (प्रथम श्रेणी) तहसील ददाहू, जिला सिरमौर, हि0 प्र0

ब मुकद्दमा : श्रीमति सीमा वर्मा पुत्री श्री बहादुर सिंह, निवासी ग्राम पराडा, तहसील ददाहू, जिला सिरमौर, हि0 प्र0।

बनाम

आम जनता

नोटिस बनाम आम जनता।

श्रीमति सीमा वर्मा पुत्री श्री बहादुर सिंह, निवासी ग्राम पराडा, तहसील ददाहू, जिला सिरमौर, हि0 प्र0 ने इस अदालत में एक दरखास्त गुजारी है, प्रार्थी श्रीमति सीमा वर्मा की जन्म तिथि 12-05-1983 ग्राम पंचायत पराडा के रिकार्ड में दर्ज नहीं है। जिसकी पुष्टि हेतु प्रार्थी ने आवेदन पत्र मय हलफीब्यान, सचिव ग्राम पंचायत पराडा एवम् जिला रजिस्ट्रार, जन्म एवं मृत्यु एवम् मुख्य चिकित्सा अधिकारी, नाहन, जिला सिरमौर की संतुति प्रस्तुत की है। जिसे प्रार्थी अब अपना नाम व जन्म तिथि ग्राम पंचायत पराडा में दर्ज करवाना चाहती है।

अतः इस नोटिस द्वारा समस्त जनता ग्राम नार नोटी, प्रार्थी के समस्त रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उक्त प्रार्थी श्रीमति सीमा वर्मा, जन्म तिथि 12-05-1983, ग्राम पंचायत पराडा के रिकार्ड में दर्ज करने बारे उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 04-06-2016 तक असालतन व वकालतन

हाजिर हो कर अपना एतराज पेश कर सकता/सकती है। उसके उपरान्त कोई उजर व एतराज नहीं सुना जाएगा और नियमानुसार प्रार्थना पत्र का निपटारा कर दिया जाएगा।

आज दिनांक 03-05-2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय की मोहर द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
तहसील ददाहू, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।

**In the Court of Shri Keshav Ram, Executive Magistrate (Tehsildar),
Kasauli, District Solan, H. P.**

Case No. : 05/ 2016

Date of Institution : 05-05-2016

Date of Decision/

Pending for : 10-06-2016

Shri Rajinder Kumar son of Shri Tidu Ram, resident of Village Nichli Jamli, Tehsil Kasauli and Smt. Nisha Devi daughter of Sh. Narata Ram at present wife of Sh. Rajinder Kumar both residents of Village Nichli Jamli, PO Kotbeja, Tehsil Kasauli, District Solan, H.P. . . *Applicants.*

Versus

General Public

Application U/S 8(4) of H.P. Registration of Marriages Act, 1996.

Proclamation

Shri Rajinder Kumar son of Shri Tindu Ram, resident of Village Nichli Jamli, Tehsil Kasauli and Smt. Nisha Devi daughter of Sh. Narata Ram at present wife of Sh. Rajinder Kumar both residents of Village Nichli Jamli, PO Kotbeja, Tehsil Kasauli, District Solan, H.P. have filed an application under section 8(4) of H. P. Registration of Marriages Act, 1996 stating therein that their marriage was solemnized as per Hindu rites on 29-02-2012 at their native place Village Jamli Nichli, PO Kotbeja, Tehsil Kasauli, District Solan, H.P. but the marriage could not registered in the Marriage records of Gram Panchayat Kotbeja, Tehsil Kasauli within stipulated period. They have prayed for passing necessary orders to the Secretary, Gram Panchayat Kotbeja, Tehsil Kasauli for entering the same .

Therefore, by this proclamation, the general public is hereby informed that any person having any objection regarding registering the marriage of Shri Rajinder Kumar and Smt. Nisha Devi, may file their objection in this court on or before 10-06-2016, failing which no objection shall be entertained.

Given under my hand and seal on this 5th day of May, 2016.

Seal.

Sd/-
(KESHAV RAM)
Executive Magistrate (Tehsildar),
Kasauli, District Solan, H. P.

**In the Court of Shri Keshav Ram, Executive Magistrate (Tehsildar),
Kasauli, District Solan, H. P.**

Case No. : 22/ 2016

Date of Institution : 03-05-2016

Date of Decision/

Pending for : 08-06-2016

Smt. Lata Devi wife of Shri Dev Raj, resident of Village Paneva, P.O. Naya Gram, Tehsil Kasauli, District Solan, H. P. . . *Applicant.*

Versus

General Public

Application U/S 13(3) of the Birth and Death Registration Act, 1969.

Proclamation :

Smt. Lata Devi wife of Shri Dev Raj, resident of Village Paneva, P.O. Naya Gram, Tehsil Kasauli, District Solan, H. P. at present Village Dakhrog, Tehsil Kalka, Haryana has filed an application under section 13(3) of the Birth & Death Registration Act, 1969 stating therein that her son namely Pankaj son of Sh. Dev Raj was born on 04-06-2010 at Village Paneva, P.O. Naya Gram, Tehsil Kasauli, District Solan, H. P., but his birth could not registered in the birth records of Gram Panchayat Banasar, Tehsil Kasauli within stipulated period. She prayed for passing necessary orders to the Secretary, Gram Panchayat Banasar, Tehsil Kasauli for entering the same.

Therefore, by this proclamation, the general public is hereby informed that any person having objection regarding registering the birth of Pankaj son of Shri Dev Raj, may file their objections in this court on or before 08-06-2016 failing which no objection shall be entertained.

Given under my hand and seal on this 3rd day of May, 2016.

Seal.

Sd/-

(KESHAV RAM),
*Executive Magistrate (Tehsildar),
Kasauli, District Solan, H. P.*

**In the Court of Shri Keshav Ram, Executive Magistrate (Tehsildar),
Kasauli, District Solan, H. P.**

Case No. : 19/ 2016

Date of Institution : 25-04-2016

Date of Decision/

Pending for : 31-05-2016

Smt. Savitri Devi wife of Shri Bhagwan Singh Rana, resident of Village Jadla, P.O. Kakarhatti, Tehsil Kasauli, District Solan, H. P. . . *Applicant.*

Versus

General Public

Application U/S 13(3) of the Birth and Death Registration Act, 1969.

Proclamation :

Smt. Savitri Devi wife of Shri Bhagwan Singh Rana, resident of Village Jadla, P.O. Kakarhatti, Tehsil Kasauli, District Solan, H. P. has filed an application under section 13(3) of the

Birth & Death Registration Act, 1969 stating therein that her grand daughter namely Lata daughter of Sh. Udai Bahadur was born on 21-05-1998 at Village Panwa, P.O. Garkhal, Tehsil Kasauli, District Solan H.P. but her birth could not registered in the birth records of Gram Panchayat Kasauli Garkhal, Tehsil Kasauli within stipulated period. She prayed for passing necessary orders to the Secretary, GP Kasauli Garkhal, Tehsil Kasauli for entering the same.

Therefore, by this proclamation, the general public is hereby informed that any person having objection regarding registering the birth of Lata daughter of Shri Udai Bahadur, may file their objections in this court on or before 31-05-2016 failing which no objection shall be entertained.

Given under my hand and seal on this 25th day of April, 2016.

Seal.

Sd/-
(KESHAV RAM),
Executive Magistrate (Tehsildar),
Kasauli, District Solan, H. P.

**In the Court of Shri Keshav Ram, Executive Magistrate (Tehsildar),
Kasauli, District Solan, H. P.**

Case No. : 20/ 2016

Date of Institution : 29-04-2016

Date of Decision/

Pending for : 31-05-2016

Sh. Deepak son of Shri Dhani Ram, resident of Village Tikathatti, P.O. Garkhal, Tehsil Kasauli, District Solan, H. P. . . Applicant.

Versus

General Public

Application U/S 13(3) of the Birth and Death Registration Act, 1969.

Proclamation :

Sh. Deepak son of Shri Dhani Ram, resident of Village Tikathatti, P.O. Garkhal, Tehsil Kasauli, District Solan, H. P. has filed an application under section 13(3) of the Birth & Death Registration Act, 1969 stating therein that his daughter namely Yashika Kashyap daughter of Sh. Deepak was born on 20-10-2012 at Village Tikathatti, P.O. Garkhal, Tehsil Kasauli, District Solan H.P. but her birth could not registered in the birth records of Gram Panchayat Kasauli Garkhal, Tehsil Kasauli within stipulated period. He prayed for passing necessary orders to the Secretary, GP Kasauli Garkhal, Tehsil Kasauli for entering the same.

Therefore, by this proclamation, the general public is hereby informed that any person having objection regarding registering the birth of Yashika Kashyap daughter of Shri Deepak, may file their objections in this court on or before 31-05-2016 failing which no objection shall be entertained.

Given under my hand and seal on this 29th day of April, 2016.

Seal.

Sd/-
(KESHAV RAM),
Executive Magistrate (Tehsildar),
Kasauli, District Solan, H. P.

**In the Court of Shri Keshav Ram, Executive Magistrate (Tehsildar),
Kasauli, District Solan, H. P.**

Case No. : 21/ 2016

Date of Institution : 04-05-2016

Date of Decision/

Pending for : 08-06-2016

Sh. Naveen Kumar Gulati son of Late Sh. Ram Saran, resident of House No. 4, Sector-1, Parwanoo, Tehsil Kasauli, District Solan, H. P. . . *Applicant.*

Versus

General Public

Application U/S 13(3) of the Birth and Death Registration Act, 1969.

Proclamation :

Sh. Naveen Kumar Gulati son of Late Sh. Ram Saran, resident of House No. 4, Sector-1, Parwanoo, Tehsil Kasauli, District Solan, H. P. has filed an application under section 13(3) of the Birth & Death Registration Act, 1969 stating therein that his daughters namely Diksha Gulati and Samiksha Gulati both daughters of Sh. Naveen Kumar Gulati were born on 27-01-1993 and 16-03-1997 respectively at Pumphosh Hospital, Sector-1, Parwanoo, Tehsil Kasauli, District Solan H.P. but their births could not registered in the birth records of MC Parwanoo, Tehsil Kasauli within stipulated period. He prayed for passing necessary orders to the CEO, MC Parwanoo, Tehsil Kasauli for entering the same.

Therefore, by this proclamation, the general public is hereby informed that any person having objection regarding registering the births of Diksha Gulati and Samiksha Gulati daughters of Sh. Naveen Kumar Gulati, may file their objections in this court on or before 08-06-2016 failing which no objection shall be entertained.

Given under my hand and seal on this 4th day of May, 2016.

Seal.

Sd/-
(KESHAV RAM),
*Executive Magistrate (Tehsildar),
Kasauli, District Solan, H. P.*

ब अदालत तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, ऊना, तहसील व जिला ऊना (हि0 प्र0)

नोटिस बनाम : जनता आम।

श्रीमती आशा रानी

बनाम

आम जनता

दरखास्त जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969.

श्रीमती आशा रानी पत्नी धर्मपाल, निवासी बसदेहडा, तहसील ऊना, जिला ऊना ने इस अदालत में दरखास्त दी है कि उसके पुत्र सचिन भारद्वाज का जन्म गांव बसदेहडा में दिनांक 14-3-1985 को हुआ था,

परन्तु इस बारे पंचायत के रिकॉर्ड में पंजीकरण नहीं करवाया जा सका। अब पंजीकरण करने के आदेश दिए जाएं।

अतः इस नोटिस के माध्यम से सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त जन्म के पंजीकरण होने बारे कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 9-6-2016 को प्रातः दस बजे अधोहस्ताक्षरी के समक्ष असालतन/वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है। अन्यथा उपरोक्त जन्म का पंजीकरण करने के आदेश दे दिए जाएंगे।

आज दिनांक 11-5-2016 को हस्ताक्षर मेरे व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।
मोहर।

हस्ताक्षरित/—
तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
ऊना, जिला ऊना (हि0 प्र0)।

ब अदालत तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, ऊना, तहसील व जिला ऊना (हि0 प्र0)

नोटिस बनाम : जनता आम।

प्रवीन देवी

बनाम

आम जनता

दरखास्त जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969.

श्रीमती प्रवीन देवी पत्नी श्री पवन गिरी, निवासी मजारा, तहसील ऊना, जिला ऊना ने इस अदालत में दरखास्त दी है कि उसके पुत्र अर्श गिरी का जन्म गांव मजारा में दिनांक 6-4-2003 को हुआ था, परन्तु इस बारे पंचायत के रिकॉर्ड में पंजीकरण नहीं करवाया जा सका। अब पंजीकरण करने के आदेश दिए जाएं।

अतः इस नोटिस के माध्यम से सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त जन्म के पंजीकरण होने बारे कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 9-6-2016 को प्रातः दस बजे अधोहस्ताक्षरी के समक्ष असालतन/वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है। अन्यथा उपरोक्त जन्म का पंजीकरण करने के आदेश दे दिए जाएंगे।

आज दिनांक 13-05-2016 को हस्ताक्षर मेरे व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
ऊना, जिला ऊना (हि0 प्र0)।

ब अदालत तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, ऊना, तहसील व जिला ऊना (हि0 प्र0)

नोटिस बनाम : जनता आम।

वीना देवी

बनाम

आम जनता

दरखास्त जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969.

श्रीमती वीना देवी पुत्री श्री रघुवीर सिंह, निवासी वार्ड नं0 5, NAC मैहतपुर, तहसील ऊना, जिला ऊना ने इस अदालत में दरखास्त दी है कि उसका जन्म गांव बसदेहडा में दिनांक 2-3-1969 को हुआ था, परन्तु इस बारे पंचायत के रिकॉर्ड में पंजीकरण नहीं करवाया जा सका। अब पंजीकरण करने के आदेश दिए जाएं।

अतः इस नोटिस के माध्यम से सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त जन्म के पंजीकरण होने बारे कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 10-6-2016 को प्रातः दस बजे अधोहस्ताक्षरी के समक्ष असालतन/वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है। अन्यथा उपरोक्त जन्म का पंजीकरण करने के आदेश दे दिए जाएंगे।

आज दिनांक 13-05-2016 को हस्ताक्षर मेरे व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
ऊना, जिला ऊना (हि0 प्र0)।